

परियोजना का नाम:— जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित $(6.00 \times 5.00 = 30.00$ वर्ग मी० अर्थात् 0.0030 है० (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशाली अभियन्ता
यांत्रिक शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून

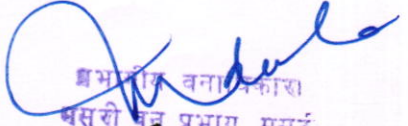
परियोजना का नाम:— जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित $(6.00 \times 5.00 = 30.00$ वर्ग मी० अर्थात् 0.0030 है० (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित क्षेत्र आरक्षित वन—0.00 है० तथा सिविल सोयम भूमि (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग)—0.0030 है० कुल 0.0030 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 6,57,000=00(रू० छः लाख सत्तावन हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 1971=00(रू० एक हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


 वन विभाग, देहरादून
 वन विभाग, देहरादून